

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य शासन विभाग

क्रमांक सी-3-24/86/3/1

भोपाल, दिनांक 29 दिसंबर, 1986


प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,  
समस्त आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश।

विषय:- शासकीय सेवकों के आवेदन-पत्र राज्य लोक सेवा आयोग को  
अप्रेषित किया जाना।

इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1677/1681/1838 दिनांक -  
6-8-59 में औशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि  
शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक, जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा  
ली जाने वाली प्रतिभागिता परीक्षा या वयन हेतु साक्षात्कार में बैठने के  
इच्छुक हों, वे अपने आवेदन-पत्र निर्धारित फार्म पर सीधे राज्य लोक सेवा  
आयोग को भेज सकते हैं। इसके तुरन्त पश्चात् उन्हें, उनके द्वारा जिस पद/  
सेवा के लिये आवेदन-पत्र भेजा गया है उसके संबंध में पूर्ण विवरण के साथ  
अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को निवेदन किया जाना चाहिये  
कि इस संबंध में उनकी स्वीकृति राज्य लोक सेवा आयोग को सीधे भेज दी  
जाय। यदि नियुक्ति अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष उक्त आवेदक को इस वयन परीक्षा  
के लिए स्वीकृति नहीं देना चाहते हैं, तो उन्हें इसको सूचना आयोग को  
आवेदन-पत्र भेजने के लिये नियत की गई अन्तिम तिथि के 30 दिन के भीतर  
अवश्य भेज देनी चाहिए, अन्यथा यदि इस अवधि के भीतर आयोग को कोई  
सूचना प्राप्त नहीं हुई तो आयोग द्वारा यह समझा जायेगा कि नियुक्ति  
अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को उक्त आवेदक को परीक्षा/वयन के लिये उनके  
द्वारा त्रिवार किये जाने में कोई आशय नहीं है।

2. आपसे निवेदन है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को शासकीय सेवकों के आवेदन अग्रिम करने के लिए उपर्युक्त कार्य-प्रणाली का अनुसरण करें।


  
॥ के.एम. श्रीवास्तव ॥  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग.

पू०क्र० सी-3-24/86/3/1

भोपाल, दिनांक 29 दिसंबर, 1986

प्रतिलिपि:-

- 1- निबन्धक, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश,  
लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,  
सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर,  
सचिव, कनिष्ठ सेवा वयन फंडल, म०प्र० भोपाल.
- 2- राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,  
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म०प्र० भोपाल.
- 3- मुख्य मंत्रीजी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक  
की ओर सूचनाार्थ.
- 4- सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव/समस्त, सामान्य प्रशासन विभाग.
- 5- अवर सचिव, रथापना/अधीक्षक/अभिनेत्र शाखा/मुख्य लेखाधिकारी,  
मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल.

  
॥ के.एम. श्रीवास्तव ॥  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग.

एम. सिंह/29/1286

29/12/86